राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(25)नविवि/बीकानेर/2016 जयपुर, दिनांकः 03 JAN 2017

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 में कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए की कार्यवाही होने पर नगरीय निकाय द्वारा प्रीमियम व लीज रेन्ट जमा करवाने हेतु मांग पत्र जारी करने कि दिनांक से 90 दिवस की अवधि में राशि जमा करवाना आवश्यक है। 90 दिवस पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित उक्त राशि जमा कराई जा सकती है। परन्तु मांग पत्र प्राप्ति की दिनांक से 6 माह तक भी उक्त राशि जमा नही करवाई जाती है तो इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जाती है। उपरोक्त नियम के प्रावधानों से आम आदमी को कठिनाई का सामना करना पड रहा है व निधार्रित अवधि में राशि उपलब्ध नही होने पर समस्त कार्यवाही निरस्त हो जाती है।

अतः इस कठिनाई के निराकरण हेतु राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये उक्त नियमों के नियम 9 में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एतद्द्वारा उपरोक्त नियमों में संशोधन किया जाता है:–

1. इन नियमों के अधीन प्रीमियम और नगरीय निर्धारण या लीज रेंट राशि संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने के 180 दिन की अवधि में जमा कराना आवश्यक है।
2. यदि आवेदक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने के 180 दिवस की अवधि में उक्त राशि जमा कराने में विफल रहता है तो मॉग पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस पश्चात् 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित उक्त राशि जमा करवाई जा सकेगी।
3. यदि आवेदक मांग–पत्र प्राप्ति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अन्दर भी उक्त राशि जमा करवाने में विफल रहता है, तो इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा।

आज्ञा से,

03/01/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम